24/11/21

मायली प्रेश हुई। वकील उपस्थित अपीलान्ट। वकील उपस्थित की बहस सुनी। वकील प्रार्थी के द्वारा बहस अवगत कराया कि किसी भी प्रकार की अन्य Litigation (वाद) को रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा से अपीलीय को रोकना जरूरी है। वकील उपस्थित के द्वारा बहस मुख्य तौर पर यह कहा कि वह 1/2 हिस्से के काबिज Rent खातेदार खातेदार है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा से पालन नहीं किया जा सकता है। वकील उपस्थित ने कानूनी नजीर RRD 2020 पेज 88 में अवगत कराया कि जाइन्ट भूमि संयुक्त खाते की आराजी है। तथा पक्षकार सहखातेदार है। विधि अनुसार सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर सहखातेदार का काबिज का हिस्सा है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा से अन्य खातेदार को पालन करना अविधिक है। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निगरानी दोनों, RRD 1993 पेज 650, माननीय वकील उपस्थित ने RRD 1993 पेज 650, RRD 2004 पेज 65, RRD 1998 पेज 79 में पेश किये। वकील उपस्थित की बहस तथा मायली के उपलब्ध दस्तावेज/वाद का मनन कर पाया गया कि उक्त सहखातेदारी की अविभाजित भूमि है। मामले वादी प्रार्थी द्वारा अस्थायी ~~[illegible]~~ के तौर बेचान नामे पर उतारा होना बताया है। किसी लिखित करार के द्वारा यदि बिना लिखा-पढ़ी के भाग का बेचान इत्यादि किया गया है तो पक्षकारों के विवाद को ~~[illegible]~~ न्यायिक प्रक्रिया में ही हल करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 14:53:15 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

राधेश्याम बनाम [illegible]

[illegible]

C' - 41/2014

आज्ञा या वाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	किया गया है। आज विवादग्रस्त कृषि-भूमि राजस्व गाँव [illegible] ख० [illegible] पर [illegible] तहसील व जिला [illegible] [illegible] अधिनियम 203 सन् 197 के धा० 379/1 [illegible] 10 बिस्वा में उपस्थित [illegible] को बाड़ के निर्णय तक विशिष्ट [illegible] के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पक्का किया गया है। पत्रावली [illegible] करते [illegible] फैसला [illegible] पत्रावली [illegible] के [illegible] 24/11/2021 को [illegible] न्यायालय में [illegible] गया।

उपखण्ड अधिकारी (आर.ए.एस.)
[illegible] कलक्टर
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 14:53:15 IST
Reason: SelfAttested